न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

(5)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17 / 20 / 2017	16–06–2017	17–05–2018

1–छिददाराम पुत्र रामशरण जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी ग्राम भोजपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

––अपीलान्टान / प्रार्थीगण

बनाम

1–देवीराम पुत्र रमनलाल जाति हैवासी ब्राह्मण

2– रत्तीराम पुत्र रमनलाल जाति हैवासी ब्राह्मण निवासीयान ग्राम सामोली तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री मूलचन्द चौधरी –वकील प्रार्थी

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील अप्रार्थी

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर तहसीलदार कठूमर जिला अलवर के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 24.08.2009 के आधार पर मृतक वसीयतकर्ता मु0 चमेली बेवा रामहरी जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी गारू तहसील कठूमर की खातेदारी आराजी वाके ग्राम गारू का विरासत दर्ज व स्वीकार हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र जिसमें आगामी तारीख 19.06.2017 थी को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय तहसीलदार कठूमर के समक्ष अपना जवाब पेश कर निवेदन किया की चमेली ने अपने जीवन काल में कभी कोई वसीयत नही की है तथाकथित वसीयत फर्जी तैयार की गई है तथा उक्त जायदाद बाबत वाद उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहां विचाराधीन है। उक्त वाद बाबत तहसीलदार साहब को अवगत करा दिया गया था किन्तु उसके बावजूद भी पीठासीन अधिकारी उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम इन्तकाल विरासत दर्ज करने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथा अप्रार्थीगण को कई बार पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते–जाते देखा है। अप्रार्थीगण ने ऐलानियां धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकि है कि उक्त इन्तकाल अप्रार्थीगण के नाम दर्ज व स्वीकार कराके रहेगें। अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से मेलजोल कर उनको अपने प्रभाव में ले लिया है। पीठासीन अधिकारी भी उक्त प्रकरण में बहुत रूची ले रहे है पीठासीन अधिकारी द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपना रूख स्पष्ट कर कहा की इस प्रकरण में तुम्हारा कोई हित नहीं है इसलीए आगामी तारीख 19.06.2017 को ही अप्रार्थीगण के हक में प्रकरण का निस्तारण कर देगें। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वसीयतनामे के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम मृतक की आराजी का इन्तकाल दर्ज कर स्वीकार करने हेतु तहसीलदार कठूमर में विचाराधीन प्रकरण आगामी तारीख 19.06.2017 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

वद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की तहसीलदार साहब से कोई बातचीत नही हुई है। समस्त तथ्य मनगढंत, बनावटी है। प्रार्थना पत्र बिना किसी युक्तियुक्त कारण के महज प्रकरण लम्बित करने के लिए पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेप कल्पित रूप दर्ज किये है, जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तहसीलदार कठूमर ने निवेदन किया कि दिनांक 24.11.2016 को छिद्दाराम द्वारा उक्त वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नही करने का निवेदन किया था जो पत्रावली में संलग्न है पत्रावली दिनांक 07.06.2017 को बहस हेतु रखी गई थी छिद्दाराम द्वारा दिनांक 10.07.2017 को हलफनामा पेश कर पत्रावली मुन्तकिल हेतु प्रार्थनापत्र पेश करने पर प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही नही की गई। संबंधित पीठासीन अधिकारी तहसीलदार कठूमर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी अपना वाद दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कराना चाहता है। यदि यह प्रकरण दीगर न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति तहसीलदार कठूमर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)